न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 136/2021 **दायर दिनांक :–26.07.2021**

उनवान

1. जितेन्द्रसिंह आयु 43 वर्ष पुत्र धर्मपालसिंह जाति जाट
2. महेन्द्रसिंह आयु 47 वर्ष पुत्र धर्मपालसिंह जाति जाट निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. रमेशचन्द आयु 67 वर्ष पुत्र भगवतीलाल जाति जाट
2. मूलसिंह आयु 65 वर्ष पुत्र भगवतीलाल जाति जाट निवासीगण ब्राहमण मोहल्ला कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारा (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

निर्णय दिनांक 16/02/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 274 का ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै. मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0, ख.नं. 494 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 497 का रकबा 0.20 हे0, ख.नं. 80 का रकबा 1.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.89 हेक्टर आराजी वादीगण के दर्ज खाता स्थित है। वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 तथा नकल नक्शा ट्रेस पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी में से ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै.मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे० आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने दो–तीन वर्ष से जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है।

वादीगण ने उनके स्वामित्व की आराजी पर से कब्जा छोड़ने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से कहा तो उन्होने वादीगण के साथ गाली गलोच की तथा कब्जा छोड़ने से मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै.मु.चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल किया जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को वादीगण के स्वामित्व की उक्त आराजी पर से बेदखल नहीं किया गया तो वादीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर प्राप्त हक हकूको से वंचित हो जायेंगे तथा जिसके फलस्वरूप वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 व 2 निम्न आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै. मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा कब्जा बनाये रखने की सूरत में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से 10,000 /– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष प्रतिभूति राशि वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वादीगण को दिलाई जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे वादीगण को उनके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार वर्ष 2018 में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा वादीगण के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 28.06.2021 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा कब्जा छोड़ने से साफ इन्कार करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद बेदखली तथा स्थायी निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कवाई पटवार क्षेत्र कवाई तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पारित की जावे कि:—

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै.मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे० पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

(ब) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा बनाये रखने की सूरत में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से 10,000/— रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष प्रतिभूति राशि वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वादीगण को दिलाई जावे

(स) प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे ।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार एवं मौका मजिस्ट्रेट अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। प्रतिवादी कम 3 तहसीलदार अटरू द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2023/139 दिनांक 13.01.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि आराजी ख0नं0 1640, 1641, 1642 ग्राम कवाई की कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई है जो कि इस प्रकार है— उक्त भूमि पर 2 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया हुआ है— (1) मूलसिंह पुत्र भगवतीप्रसाद (2) रमेशचन्द पुत्र भगवतीप्रसाद जाति जाट निवासी कवाई दोनों सगे भाईयों द्वारा बारी बारी से काश्त किया जाता है।

3. वादीगण ने अपने सबूत में pw1 जितेन्द्रसिंह पुत्र धर्मपालसिंह निवासी कवाई, Pw2 महेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति जाट निवासी कवाई का बयान कलमबद्ध कराये तथा

दस्तावेज–ग्राम कवाई की जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श पी1, ग्राम कवाई की खसरा नक्शा व जमाबंदी प्रदर्श पी2, आधार कार्ड 3ए एवं 4ए पेश किये।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 जितेन्द्रसिंह पुत्र धर्मपालसिंह, pw2 महेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति जाट निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0) के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादियों ने सशपथ बयान किया कि ग्राम एवं माल कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 274 का ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै. मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0, ख.नं. 494 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 497 का रकबा 0.20 हे0. ख.नं. 80 का रकबा 1.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.89 हेक्टर आराजी वादीगण के दर्ज खाता स्थित है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी में से ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै.मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे० आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 रमेशचन्द व प्रतिवादी क्रम 2 मूलसिंह ने वर्ष 2018 से जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण ने उनके स्वामित्व की आराजी पर से कब्जा छोड़ने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से कहा तो उन्होंने वादीगण के साथ गाली गलोच की तथा कब्जा छोड़ने से मना कर दिया। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै. मु. चाह, ख. नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0 पर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम कवाई की उक्त विवादित आराजी पर वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

4. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दोरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कवाई पटवार हल्का कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 274 का ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0 गै. मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0, ख.नं. 494 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 497 का रकबा 0.20 हे0. ख.नं. 80 का रकबा 1.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.89 हेक्टर आराजी के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है और वर्षों से कब्जे काश्त चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने 2–3 वर्ष से जबरन दादागिरी के बल पर ख.नं. 1640 का रकबा 0.

01 हे0 गै.मु. चाह, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे० कुल किता 3 रकबा 0.52 है0 पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के कब्जा कर लिया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कब्जे को छोडने के लिए कई बार निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कब्जा छोडने से मना कर गाली गलौच करने लग गये। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अतिक्रमी है और किसी भी अतिक्रमी को किसी अभिलिखित खातेदार कृषक के स्वामित्व की भूमि पर विधि विरूद्ध कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वादीगण को उनके स्वामित्व की आराजी पर कब्जा नहीं दिया गया तो वादीगण को न केवल अपने कानूनी हक व अधिकार से वंचित रहना पडेगा बल्कि ऐसी अपूरणीय क्षति उठानी पडेगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है। अतः उक्त दोनों ट्रेसपासर को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे, कब्जा बनाये रखने की स्थिति में 10,000 रूपये प्रति बीघा की प्रतिभूति राशि दिलवाई जावे और इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ये ट्रेसपासर भविष्य में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2075–78 के अनुसार खाता संख्या 274 का ख.नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0, ख.नं. 494 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 497 का रकबा 0.20 हे0. ख.नं. 80 का रकबा 1.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.89 हेक्टर आराजी खातेदार जितेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रान धर्मपालसिंह के खाते दर्ज हैं अर्थात वादीगण उक्त विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है। पेश जमाबंदी व खसरा नक्शा के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार कृषक है और किसी रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट की भूमि पर बिना विधिक प्राधिकार के अवैध कब्जा करने वाले को धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधीन एक ट्रेसपासर माना जावेगा। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं किये जाने और विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा कब व किस आधार पर कब्जा लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कोई साक्ष्य पेश नही किये जाने से यह न्यायालय प्रिज्यूम करती है कि प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के कब्जा किया है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अतिक्रमी माने जायेगें।

6. उक्त प्रकरण को निर्धारित करने से पूर्व धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं–

Sec. 183– Ejectment of certain trespasser- (1)- Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub section (2) on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part wherof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

7. इस प्रकरण मे ंतहसीलदार अटरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2022 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार–ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 1640, ख0नं0 1641, ख0नं0 1642 पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रमेशचन्द, मूलसिंह पुत्रान भगवतीलाल जाति जाट ने कब्जा कर रखा है। दोनों प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी को एक–एक वर्ष के लिए बारी बारी काश्त किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खाते की आराजी पर किस आधार पर काश्त किया जा रहा है यह मौका रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह साबित होता है कि वादीगण के खाते की विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर वादीगण को उनके कानूनी हक व अधिकार से वंचित किया है जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में स्वयं वादीगण ने अपने वाद पत्र के अनुतोष नं0 (ब) में 10000रू प्रति बीघा की प्रतिभूति राशि का अनुतोष चाहा है। अतः यह स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं मानते है कि उन्हे प्रतिवादीगण के उक्त कब्जे से ऐसे कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है जिसे निर्धारित करने का कोई मानक नही है। स्वयं वादीगण ने इस नुकसान की कीमत 10000रू प्रतिबीघा अंकित की है और यह राशि वहन किये जाने योग्य प्रतित होती है। प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नही होने से विवादित आराजी पर कब्जा बनाये रखने की सूरत में क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण पर धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं होगें।

9. उक्त प्रकरण को निर्धारित करने से पूर्व धारा 188 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं–

Section 188- Injunction against wrongful ejectment:-

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invsded or threatered to be invaded by his landlord or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following case, namely:

(a) if there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion;

(d) where the injunction is necessary to prevent multiplicity of proceedings

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख. नं. 1640 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0 किता 3 का कुल रकबा 0.52 है पर वादीगण का वाद न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0 नं0 1640 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0 किता 3 का कुल रकबा 0.52 है0 भूमि से अतिक्रमी / प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजी से अतिक्रमी/प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 136/2021 **दायर दिनांक :–26.07.2021**

उनवान

1. जितेन्द्रसिंह आयु 43 वर्ष पुत्र धर्मपालसिंह जाति जाट
2. महेन्द्रसिंह आयु 47 वर्ष पुत्र धर्मपालसिंह जाति जाट निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. रमेशचन्द आयु 67 वर्ष पुत्र भगवतीलाल जाति जाट
2. मूलसिंह आयु 65 वर्ष पुत्र भगवतीलाल जाति जाट निवासीगण ब्राहमण मोहल्ला कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारा (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0 नं0 1640 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 1641 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 1642 का रकबा 0.39 हे0 किता 3 का कुल रकबा 0.52 है0 भूमि से अतिक्रमी/ प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजी से अतिक्रमी/प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X........................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.02.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)